

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)टिब्बी जिला हनुमानगढपीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न०:-01/2026

- 1 चन्द्रकला पत्नी सुखराम पुत्री गोपालराम जाति बावरी निवासी हरीपुरा बारानी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
- 2 गिरदावरी पत्नी गोपाल जाति बावरी निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ । वादीयागण

बनाम्

- 1 गोपालराम पुत्र गंगाराम जाति बावरी निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक...13/2/26...

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चकनं० 650 आर. डी. के खातासं० 322/101 में कुल 1.054 है० नहरी मय गै०मु० आराजी की वादीयागण ब०हि०ब० के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है व चकनं० 650 आर. डी. के खाता सं० 322/101 में से गोपालराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/2/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर (राजस्व)
टिब्बी